

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्र.एफ. 27(2)ग्राविवि-5 / लेखा / पीएमएवाईजी / राज्यांश / 2017-18 जयपुर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

प्रशासनिक स्वीकृति  
(स्वीकृति संख्या 6 / 2017-18)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत SECC-2011 डाटा के आधार पर जिनका चयन ग्राम सभा द्वारा किया गया हो, को मकान के निर्माण में मदद करने के उद्देश्य से अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण आवास) कृषि भवन, नई दिल्ली के स्वीकृति क्रमांक -12032 / 1 / 2016-आरएच (A/C) -2, 2A, 2B Rajasthan दिनांक 21.07.2017 केन्द्रीय शांश की द्वितीय किश्त की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत मय प्रशासनिक लागत (आवास हेतु राशि रु. 90092.96 लाख एवं प्रशासनिक व्यय राशि रु. 3603.72 लाख) कुल राशि रु. 93696.68 लाख राज्य सरकार के संचित निधि (Consolidated Fund) में हस्तान्तरित की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के केन्द्रीय शांश की द्वितीय किश्त का आनुपातिक राज्यांश की राशि रु. 62464.45 लाख (अक्षरे रु. छः सौ चौबीस करोड चौसठ लाख पैतालीस हजार मात्र) निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर के इन्दिरा आवास योजना के पीडी खाता संख्या 5806 में (ब्याज रहित) हस्तान्तरण करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

बजट मद- 2505- ग्राम्य रोजगार

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम


196- जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(02) - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (राज्य निधि)

क्र. सं.	मुख्यालय स्तर	मांग संख्या			कुल
		मांग संख्या-30	मांग संख्या-50	मांग संख्या-51	
		[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)	[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)	[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)	
		12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	
1.	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि	24414.32	26427.40	11622.73	62464.45
	योग	24414.32	26427.40	11622.73	62464.45

( अक्षरे रु. छः सौ चौबीस करोड चौसठ लाख पैतालीस हजार मात्र)

इस राशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका व भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार स्वीकृत कार्यों पर उपलब्ध संसाधनों की सीमा में ही किया जावेगा। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 331700730 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

  
(सिरमौर मीना)

परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव,  
(वित्त व लेखा), ग्रावि

राजस्थान सरकार  
वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग

क्रमांक प 4(211) वित्त-1(1)आ.व्य/2016  
कोषाधिकारी (कोष कार्यालय)  
सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

जयपुर, दिनांक: 09 नवम्बर, 2017

(स्वीकृति संख्या- 433 /2017-18)

**विषय:-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अर्न्तगत अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग के निजी निक्षेप खाता संख्या 5806 में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगत निर्देशानुसार लेख है कि परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (वित्त एवं लेखा), ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ 27(2)ग्राविवि-5/लेखा/पीएमएवाईजी/राज्यांश/2017-18 जयपुर, दिनांक 07.11.2017 (स्वीकृति संख्या 06/ 2017-18) में अंकित शर्तानुसार अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, के इन्दिरा आवास योजना के पी.डी. खाता संख्या 5806 में निम्नानुसार कुल राशि रूपये **62464.45 लाख (अक्षरे रूपये छः सौ चौबीस करोड चौसठ लाख पैतालिस हजार मात्र)** निम्न बजट मद से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे :-

**बजट मद- 2505- ग्राम्य रोजगार**

**01- राष्ट्रीय कार्यक्रम**

**196- जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता**

**(02) - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (राज्य निधि)**

राशि (लाखों में)

क्र. सं.	मुख्यालय स्तर	मांग संख्या-30	मांग संख्या-50	मांग संख्या-51	कुल योग
		[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)	[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)	[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)	
		12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	
1.	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि	<b>24414.32</b>	<b>26427.40</b>	<b>11622.73</b>	<b>62464.45</b>

(अक्षरे रूपये छः सौ चौबीस करोड चौसठ लाख पैतालिस हजार मात्र)

राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

- seb

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (वित्त एवं लेखा), ग्रावि, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-V) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त शासन, आयोजना विभाग, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
7. सिस्टम ऐनालिस्ट वित्त विभाग सचिवालय, जयपुर।

Wjilr

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)